समाहरणालय,मधेपुरा।

(जिला राजस्व शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के स्वीकृत्यादेश सं0 119 (9) रा0 दिनांक 13.02.2015 से स्वीकृत एवं सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना के आवंटनादेश सं0 77(5) दिनांक 20.02.15 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष 2029 - भू-राजस्व - 104 - सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध - 0002 - हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701- लघु कार्य मांग सं0- 40, विपत्र कोड एन0 202900104000 2 के अंतर्गत महाशिवरात्रि मेला सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, 2015 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु इस जिले को मो0 5,00,000.00 (पाँच लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को विभागीय निदेश एवं संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न शर्त्तो के अधीन उक्त प्राप्त आवंटन की निकासी हेतु शत-प्रतिशत राशि उपावंटित की जाती है ।

क्र0	कार्यालय का नाम	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन
1	अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा।	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	0.00	5,00,000.00	5,00,000.00

उपावंटन की शर्त्ते :-

1. यह राशि **मुख्य शीर्ष 2029 - भू-राजस्व - 104 - सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध - 0002 - हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701- लघु कार्य मांग सं0- 40, विपत्र कोड एन0 2029001040002** मद में उपवंधित राशि से विकलनीय होगा ।
2. उपर्युक्त उपावंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561(वि.) दिनांक 17.04.98 तथा संशोधित पत्रांक 6720(वि0) दिनांक- 25.04.2014 के आलोक में किया जा रहा है ।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर ईकाई का कोड, मांग संख्या तथा विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का उपावंटन मात्र इस शर्त्त पर की जाती है कि इसका उपयोग नियमानुसार एवं सरकारी आदेशानुसार संबंधित मद में ही किया जायगा ।(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के स्वीकृत्यादेश सं0 119 (9) रा0 दिनांक 13.02.2015 एवं आवंटनादेश सं0 77(5) दिनांक 20.02.2015 की छाया प्रति संलग्न)
5. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।
6. वित्त विभाग द्वारा समय -समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश बिहार कोषागार संहिता एवं वित्त नियमावली में निहित प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जाय । यह सुनिश्चित करना उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।
7. उपावंटित राशि विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय, यह सुनिश्चत करना उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. उपावंटित राशि का व्यय विवरणी,कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि निश्चित रूप से भेज दिया जाय इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 237-2 /रा0,मधेपुरा,दिनांक 07/03/2015/

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को उनके पत्रांक 77(5) दिनांक 20.02.15 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

07/03/15
समाहर्त्ता,
मधेपुरा।